



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
**आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,**  
**सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका**



**कुलपति महोदय का संदेश**

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सत्र 2018-20 की राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. 2018 आयोजित करने का दायित्व लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। आदि गंगा-गोमती के पावन तट पर स्थित भगवान श्री राम के अनुज, वीरवर लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनऊ अपनी गंगा-जमुनी तहजीब के लिए विश्व-विख्यात है। यहाँ के नवाबों की शान-मुगलकालीन ऐतिहासिक इमारतें और बाग (भूल-भुलैया, इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, मकबरे, बारादरी इत्यादि) लखनऊ की पहचान बढ़ाते हैं। अम्बेडकर, लोहिया एवं जनेश्वर मिश्र पार्क आज पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र हैं। काकोरी, दिलकुशा, रेजीडेन्सी आदि स्थल 1857 की क्रांति के साक्षी हैं। मलिहाबादी आम, सफेदा एवं खरबूजे के साथ-साथ सामिष एवं निरामिष भोजन के लिए लखनऊ विख्यात है। सूरदास लखनवी से लेकर उपन्यासत्रयी - भगवती चरण वर्मा, यशपाल एवं श्री लाल शुक्ल तक की साहित्य परम्परा विद्यमान है। महाकवि निराला, अमृत लाल नागर, शिवानी, रमई काका, मजाज़ आदि कवियों ने अपनी कविताओं से यहाँ के साहित्यिक परिवेश को निखारा है। विख्यात मुद्रक गंगा पुस्तक माला, मुंशी नवल किशोर प्रेस ने आजादी से पूर्व के साहित्य को विश्व में उकेरा है।

ऐसी पौराणिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 25 नवम्बर 1920 को हुई। विश्वविद्यालय को उसकी अकादमिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शैक्षिक जगत में विशेष स्थान प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. बीरबल साहनी, प्रसिद्ध समाजशास्त्री आचार्य नरेन्द्रदेव, धुर्जटा प्रसाद मुखर्जी आदि ने यहाँ के शैक्षिक स्वरूप को गरिमा प्रदान की है। विख्यात हॉकी खिलाड़ी के.डी. सिंह 'बाबू', क्रिकेटर-सुरेश रैना, आर. पी. सिंह, विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। वर्तमान में लखनऊ नगर में मेट्रो रेल का परिचालन आरम्भ हो चुका है। गोमती रिवरफ्रन्ट विकास परियोजना, मा. उच्च न्यायालय का नवीन भवन एवं आगरा एक्सप्रेस-वे आदि आधुनिकता के सशक्त प्रतीक हैं।

बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2018 को शुचितापूर्ण सम्पन्न कराने के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय दृढ़ संकल्प है। अभ्यर्थियों की सुविधा एवं परीक्षा की पारदर्शिता हेतु बी.एड. प्रवेश सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन की गई है। बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य हेतु हमारी शुभकामनाएँ एवं मंगलकामनाएँ। साथ ही इस कार्य को सम्पन्न कराने हेतु कटिबद्ध, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं टीम को मेरी अनन्त शुभेच्छा,

**सुरेन्द्र प्रताप सिंह**  
**कुलपति**



## बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रो. नवीन खरे  
राज्य समन्वयक  
संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2018-20

अध्यक्ष, ACCTI,  
रसायन विज्ञान विभाग  
लखनऊ विश्वविद्यालय



### शुभकामना संदेश

हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2018 का दायित्व लखनऊ विश्वविद्यालय को लगातार चौथी बार सौंपा गया है। यह एक ओर सरकार द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रति विश्वास को व्यक्त करता है, वहीं दूसरी ओर लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य-प्रणाली को भी स्पष्ट: परिभाषित करता है। इससे विश्वविद्यालय परिवार प्रफुल्लित एवं उत्साहित हुआ है। किन्तु यह दायित्व सुखद होने के साथ-साथ चुनौती पूर्ण भी है।

वर्तमान तकनीकी परिदृश्य में अभ्यर्थियों के लिए परिस्थितियां जहाँ अनुकूल व सहज हुई हैं, वही अनेक कठिनाइयां भी उपस्थित हुई हैं। हम यथासंभव अभ्यर्थियों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में निरन्तर प्रयासरत रहे हैं।

इस वर्ष हमने ऑनलाइन प्रक्रिया को और सहज बनाने का भरपूर प्रयत्न किया है। Payment-gateway द्वारा शुल्क-संग्रहण को सरलतम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम दिनभर Helpline, SMS, Voice-Call तथा e-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों की समस्याओं के निदान का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

इस वर्ष हमने आधार पंजीकरण संख्या को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेतु अनिवार्य किया है। हम आशा करते हैं कि जिन अभ्यर्थियों का अब तक आधार कार्ड नहीं बना है, वह अपना आधार कार्ड शीघ्रातिशीघ्र बनवाकर उसका नम्बर आवेदन में यथास्थान भरेंगे।

संभव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कुछ कठिनाई हो, किन्तु वैश्विक विकास में तकनीकी के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रक्रिया उनके लिए अनुभव-प्रदाता सिद्ध होगी। हम दृढ संकल्प है कि अभ्यर्थियों को अधिकतम सुविधा प्रदान करते हुए, प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता, सुचिता, सहजता व गोपनीयता के साथ संपन्न हो। मैं समस्त अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य एवं सफलता की शुभ मंगल कामना करता हूँ।

प्रो. नवीन खरे  
राज्य समन्वयक



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



अनुक्रम

	पृष्ठ संख्या
1. शैक्षिक अर्हता	4
2. महत्वपूर्ण तिथियाँ	5
3. महत्वपूर्ण निर्देश	6
4. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया	7-8
5. ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश	9-11
6. आरक्षण	12-13
7. प्रवेश परीक्षा प्रारूप	14
8. परिशिष्ट - 1 भारांक	15-17
9. परिशिष्ट - 2 विश्वविद्यालयों का नाम	18
10. परिशिष्ट - 3 प्रस्तावित शहरों की सूची जहाँ परीक्षा केन्द्र बनाया जाना है	19
11. प्रमाण पत्रों के प्रारूप	20-30
सम्पर्क सूत्र	31



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



## शैक्षिक अर्हता

बी.एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत है

1. विज्ञान/सामाजिक-विज्ञान/मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। बी.ई. एवं बी.टेक. में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिये न्यूनतम 55% (पचपन प्रतिशत) अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी.ई. एवं बी.टेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।
3. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 05% (पाँच प्रतिशत) की छूट दी जायेगी।
4. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी या उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत है :-

न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों सहित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्री परीक्षा, या द्विवर्षीय शास्त्री परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्री अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्री या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक।

**नोट** ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2018 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



**बी.एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2018 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ \***

1	ऑन-लाईन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि	:	15/02/2018	गुरुवार
2	ऑन-लाईन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि	:	23/03/2018	शुक्रवार
3	परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	:	25/03/2018	रविवार
4	सम्पूरित आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क सहित ऑन लाईन जमा (Submit) करने की अंतिम तिथि	:	25/03/2018	रविवार
5	प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि	:	11/04/2018	बुधवार
6	प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा परिणाम की तिथि	:	10/05/2018 से 15/05/2018 तक	गुरुवार मंगलवार
7	ऑन-लाईन प्रवेश काउंसिलिंग (मुख्य एवं पूल) की संभावित तिथि	:	01/06/2018 से 30/06/2018 तक	शुक्रवार शनिवार
8	शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि	:	02/07/2018	सोमवार
9	अभ्यर्थियों का सीधा प्रवेश एवम् उनके प्रमाणन की अंतिम तिथि	:	10/07/2018	शनिवार

बी.एड. (द्विवर्षीय) 2018-20 से सम्बन्धित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

- \* किसी विशेष परिस्थिति में बी.एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2018 से सम्बन्धित तिथियों में परिवर्तन का अधिकार आयोजक लखनऊ विश्वविद्यालय के पास होगा। यदि बी.एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2018 से सम्बन्धित कोई तिथि परिवर्तित होती है तो इसकी सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
**आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,**  
**सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका**

**महत्वपूर्ण निर्देश**

1. प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता सम्बन्धी निर्देशों को अवश्य पढ़ लें जो <http://lkouniv.ac.in> वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गयी कुछ प्रविष्टियों \* में यदि उसे कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क सहित से ऑनलाइन जमा (Submit) करने की तिथि से चार दिनों के अन्दर लॉग-इन कर त्रुटि संशोधन कर सकता है, चार दिनों के उपरान्त प्रविष्टियों में कोई भी संशोधन किसी भी दशा में संभव नहीं होगा। अभ्यर्थी पुनः संशोधित आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

**प्रविष्टियाँ \* जिनमें त्रुटि संशोधन किया जा सकता है :**  
**विषय वर्ग, लिंग तथा भारांक**

3. आवेदक की अर्हता अथवा भारांकों में किसी भी त्रुटि के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी तरह के वाद की स्थिति मान्य नहीं होगी।
4. आवेदन पत्र अथवा कोई भी शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अतिरिक्त अंकों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर लखनऊ विश्वविद्यालय, भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को समस्त प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. समस्त अभ्यर्थी भरे हुये ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना **नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो** (Front Face), **दोनों तर्जनी** (Both Index Fingers) तथा **हस्ताक्षर** 35mm x 45mm आकार में **अपलोड करना** अनिवार्य है। फोटोग्राफ, दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर की अधिकतम 50 KB की jpg format में कम्प्यूटर फाइल होगी। ऐसा न होने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
7. कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूल प्रति/छायाप्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
8. **बी.एड. (द्विवर्षीय) 2018-20 से सम्बन्धित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।**
9. प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पत्र पर कम्प्यूटर-जनित 11 (ग्यारह) अंकों की एक संख्या अंकित है जो कि पंजीकरण संख्या है, जिसे बी.एड. प्रवेश हेतु भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। सभी पत्राचार निम्नांकित पते पर किया जायेगा :

**राज्य समन्वयक**  
**संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. (द्विवर्षीय) 2018-20**  
**बी.एड. प्रकोष्ठ, जन्तु विज्ञान विभाग**  
**लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



**ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया**

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत् तीन चरणों में सम्पन्न होगी:

- प्रथम चरण – ऑनलाइन पंजीकरण करना।  
द्वितीय चरण – आवेदन पत्र को पूर्ण करना।  
तृतीय चरण – बैंक ऑफ बड़ोदा के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान करना एवम् आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना।

*कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूल प्रति/छायाप्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।*

संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. (द्विवर्षीय) 2018-20 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व वेबसाइट <http://lkouniv.ac.in> पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़कर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा हेतु अपनी अर्हता अवश्य सुनिश्चित कर लें।

**प्रथम चरण – पंजीकरण**

1. ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (Candidate Registration) लिंक पर क्लिक करें।
2. ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन की प्रविष्टियों को भरें। जहाँ-जहाँ (\*) चिह्न लगा है उन प्रविष्टियों को अनिवार्य रूप से भरना है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन में अपनी 12 अंको की आधार संख्या को भरना है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास आधार नम्बर उपलब्ध नहीं है तो कृपया शीघ्र आधार पंजीकरण करा लें।
3. अपनी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के पश्चात् सही जाँच कर आश्वस्त होने के उपरान्त ही सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।
4. सफलतापूर्वक पंजीयन होने के साथ ही आपको कम्प्यूटर-जनित 11 (ग्यारह) अंकों की पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को सावधानीपूर्वक लिख लें एवम् इस पृष्ठ का प्रिन्ट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि पंजीकरण संख्या के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया सम्पादित होगी।

नोट— प्रवेश हेतु केवल पंजीकरण करने मात्र से आपका बी.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पूर्ण नहीं होता है। यह केवल सफलतापूर्वक पंजीकरण का प्रतीक है। पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र को पूर्ण करना है। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा न होने की स्थिति में आवेदन अपूर्ण मानते हुए अस्वीकार कर दिया जायेगा।



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
**आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,**  
**सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका**



**द्वितीय चरण – आवेदन पत्र को पूर्ण करना**

1. शुल्क जमा करने के पश्चात् 'आवेदन पत्र पूरित करें' (Submit Application Form) लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र पूरित करने के लिये अभ्यर्थी को **पंजीकरण संख्या, ट्रांजेक्शन संख्या (Transaction ID) एवं जन्मतिथि** भरना होगा।
2. स्क्रीन पर मांगी गई सूचनाओं को भरने के बाद सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना **नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो** (Front Face), **दोनों तर्जनी** (Both Index Fingers) तथा **हस्ताक्षर** 35mm x 45mm आकार में **अपलोड करना** अनिवार्य है। फोटोग्राफ, दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर की अधिकतम 50 KB की jpg format में कम्प्यूटर फाईल होगी। फोटो स्पष्ट और नवीनतम होना चाहिये। गहरे रंग के चश्मे के साथ खींची गयी फोटो स्वीकार न होगी तथा इस दशा में आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है।
4. अंतिम रूप से सबमिट (Submit) करने के पूर्व एक बार पुनः प्रविष्टियों को जांच कर सुनिश्चित हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आश्वस्त होने के उपरान्त ही सबमिट (Submit) पर क्लिक करें। पूरित आवेदन पत्र का प्रिन्ट ए-4 आकार के कागज में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपने पास सुरक्षित रख लें।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी फोटोग्राफ को ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट में निर्धारित स्थान पर चिपकायें एवं निर्धारित स्थान पर अपना एवं अपने पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर करवायें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने बांये हाथ के अंगूठे का निशान लगायें एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपने पास सुरक्षित रख लें।

**तृतीय चरण – शुल्क भुगतान करना एवं आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना**

1. सम्बन्धित वेबसाइट पर शुल्क भुगतान लिंक पर क्लिक करें।
2. बैंक ऑफ बड़ोदा payment gateway की वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाईन (Internet Banking / Debit Card / Credit Card ) द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करें।
3. ऑन-लाईन माध्यम से भुगतान करने पर बैंक द्वारा जारी Transaction ID को अपने पास सावधानीपूर्वक लिख कर सुरक्षित कर लें।





**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
**आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,**  
**सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका**



**ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश**  
**(General Instructions for Online Application)**

**1. अभ्यर्थी का नाम (Name of Candidate)**

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरें। नाम के साथ श्री/श्रीमती/श्रीमान/कुमारी/सुश्री आदि सम्बोधन सूचक शब्द नहीं भरें।

**2. पिता का नाम (Father's Name)**

जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उन्हीं निर्देशों के अनुसार पिता का नाम भरा जाये।

**3. माता का नाम**

जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उन्हीं निर्देशों के अनुसार माता का नाम भरा जाये।

**4. जन्मतिथि (Date of Birth)**

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार भरें। जन्मतिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होगा।

**5. ई-मेल (e-Mail)**

अपना ई-मेल इस स्थान पर लिखें। इस ई-मेल पर एक ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जोकि आपको ई-मेल के वेरिफिकेशन के लिए भरना होगा।

**6. मोबाइल नम्बर (Mobile Number)**

अभ्यर्थी अपना 10 अंको का मोबाइल नम्बर भरें। इस मोबाइल नंबर पर एक ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जोकि आपको मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए भरना होगा।

**7. लिंग (Gender)**

पुरुष अभ्यर्थी, पुरुष ( Male) के सम्मुख क्लिक करें तथा महिला अभ्यर्थी महिला (Female) के सम्मुख क्लिक करें। Transgender अभ्यर्थी अन्य (Others) पर क्लिक करें।

**8. राष्ट्रियता (Nationality)**

अभ्यर्थी अपनी राष्ट्रियता का चयन करें।

**9. उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (Domicile of UP)**

यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो हाँ (Yes) का चयन करें अन्यथा नहीं (No) का चयन करें। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी न होने की दशा में अभ्यर्थी का विवरण पुस्तिका में दिये गये प्रमाण पत्र - 11 के प्रारूप के अनुसार अथवा ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अथवा जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक किसी भी उत्तर प्रदेश के कालेज/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है वे अभ्यर्थी अपने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक अंकतालिका या प्रमाणपत्र अपलोड करें।

**10. श्रेणी (Category)**

अभ्यर्थी जिस श्रेणी का हो उसके सम्मुख क्लिक करें।



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
**आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,**  
**सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका**

अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी (OBC/SC/ST Category) के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का निर्धारित प्रमाण पत्र धारित करता है तो अपने वर्ग के सम्मुख क्लिक करें। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सम्बन्धित वर्ग पर क्लिक न करें बल्कि सामान्य के सम्मुख क्लिक करें। अर्थात् अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

**11. परिवार की कुल वार्षिक आय (Total Annual Income of the Family)**

अभ्यर्थी अपने परिवार की कुल वार्षिक आय का उल्लेख करें।

**12. उप-श्रेणी (Sub-Category)**

यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी का लाभ लेना चाहता है तो सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें। सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

**13. विकलांग (Physically Challenged)/ दृष्टिबाधित (Blind)**

यदि अभ्यर्थी दृष्टिबाधित श्रेणी में आता है और इस संवर्ग का लाभ लेना चाहता है तो हां (Yes) के सम्मुख क्लिक करें। अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित एतदर्थ बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाणित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में होना आवश्यक है।

**14. वैवाहिक स्थिति (Marital Status)**

अभ्यर्थी अपनी वैवाहिक स्थिति के लिये विवाहित/अविवाहित/परित्यक्ता/तलाकशुदा (Married/Unmarried/Divorced/Separated) का चयन करें।

**15. पत्र व्यवहार का पूरा पता (Complete Postal Address)**

पत्र व्यवहार के पते में अभ्यर्थी अपना नाम एवं डाक का सम्पूर्ण पता भरें।

**16. पिन कोड (Pin Code)**

अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार में दिये गये पते से सम्बन्धित पिन कोड नम्बर को भरें।

**17. फोन नम्बर एस.टी.डी. कोड सहित (Telephone No. with STD Code)**

अभ्यर्थी अपने फोन नम्बर को एस.टी.डी. कोड के साथ भरेंगे। उदाहरण के लिये लखनऊ के किसी अभ्यर्थी के द्वारा फोन नम्बर निम्न प्रकार भरा जायेगा –

0522 2320496

**18. आधार नम्बर (Aadhar Number)**

अभ्यर्थी अपना 12 अंको का आधार नम्बर भरें। जिन अभ्यर्थियों का अब तक आधार कार्ड नहीं बना है, वह अपना आधार कार्ड शीघ्रातिशीघ्र बनवाकर उसका नम्बर आवेदन में यथास्थान भरें।

**19. फोटो व अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (Photograph & Signature of the Candidate)**

ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना **नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो** (Front Face), **दोनों तर्जनी** (Both Index Fingers) तथा **हस्ताक्षर** 35mm x 45mm आकार में **अपलोड करना** अनिवार्य है। फोटोग्राफ, दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर की अधिकतम 50 KB की jpg format में कम्प्यूटर फाईल होगी। फोटो स्पष्ट और नवीनतम होना चाहिये। गहरे रंग के चश्मे के साथ खीची गयी फोटो स्वीकार न होगी तथा इस दशा में आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है।



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
**आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,**  
**सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका**

**20. स्नातक परीक्षा विवरण (Details of Graduation)**

अभ्यर्थी स्नातक उपाधि पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

**21. परास्नातक परीक्षा विवरण (Details of Post Graduation)**

अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

**22. उप-श्रेणी (Sub-Category)**

यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रतिरक्षा कर्मचारी आश्रित या विकलांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहता है तो सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें। सम्बन्धित प्रमाण पत्र मूल रूप में काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**23. भारांक हेतु मांग (Weightage Claimed)**

अ) अभ्यर्थी भारांक की अर्हता के लिये परिशिष्ट संख्या 1 को सावधानी पूर्वक देखें।

ब) उसके अनुसार परिशिष्ट 1 में श्रेणी ए से एफ तक के नीचे उस कोड के अंतर्गत मांगे गये भारांक से सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें।

स) सम्बन्धित प्रमाणपत्र अपलोड करें।

**24. प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प (City Option for Entrance Exam)**

अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु तीन शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा (परिशिष्ट-3 देखें) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र अभ्यर्थी को स्वीकार करना होगा।

परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**25. विषय समूह (Subject Stream)**

अभ्यर्थी अपने विषय समूह का चयन करें। (प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें)

**26. घोषणा (Declaration)**

अभ्यर्थी घोषणाओं को सावधानी पूर्वक पढ़ें तथा निर्देशों का पालन करें।

**नोट—** ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
**आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,**  
**सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका**



**आरक्षण**

- A) **ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)** : बी.एड. (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/ शासनादेश के अनुसार देय होगा।
- B) **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)** : शारीरिक रूप से विकलांग (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता)/दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 03 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुये भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिसके कारण बच्चों में संक्रमण या उनके कक्षा-शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। यह प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। उ.प्र. के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा उ.प्र. में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को समस्त प्रवेश सीटों के अधिकतम 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। महिलाओं के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

**नोट :-**

1. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जायेगा।
  2. यदि उक्त क्रम संख्या 01 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित रिक्ति को भरने के लिये उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जायेगा।
  3. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के उपरान्त भी आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जायेगा।
  4. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के आधीन ऐसी श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।
- C) **नेत्रहीन अभ्यर्थियों** को श्रुत लेखक (Writer) लाने की सुविधा अनुमन्य है। प्रतिबन्ध यह होगा कि श्रुत लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कक्षा 12 अथवा इनके समकक्ष से अधिक न हो।



## बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

- D) अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिये मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अधिकतम 05 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।
- E) केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय का लाभ अनुमन्य है। आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पिता के नाम के साथ ही होना मान्य होगा। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करने के पात्र होंगे। विवाहित महिला अभ्यर्थियों के पति के नाम पर निर्गत जाति एवम् आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

टिप्पणी : काउन्सिलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।

### प्रवेश पत्र की प्रति

अभ्यर्थी को राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा बी.एड. (द्विवर्षीय)-2018 का प्रवेश पत्र प्रवेश परीक्षा की तिथि के सात दिन पूर्व राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा बी.एड. (द्विवर्षीय)-2018 की वेबसाइट <https://lkouniv.ac.in> पर लॉगिन कर अपनी आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या देकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकता है।

अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को दो प्रतियों में मुद्रित (प्रिन्ट) कर लें व ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी फोटोग्राफ को प्रवेश पत्र के प्रिन्ट आउट में निर्धारित स्थान पर चिपकायें एवं निर्धारित स्थान पर अपना एवं अपने पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर करवायें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपनी दोनो तर्जनी (Both Index Fingers) का निशान लगायें। प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र को दो एक जैसी प्रतियों में लाना है व एक प्रति परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षक महोदय को देनी है।



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



**प्रवेश परीक्षा का प्रारूप**

प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगे। पूर्व वर्षों की भाँति इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) की प्रक्रिया यथावत् रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के 02 (दो) अंक मिलेंगे व प्रत्येक गलत उत्तर के एक तिहाई अंक काटे जायेंगे।

प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे।

**प्रश्नपत्र – प्रथम**

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य ज्ञान (General Knowledge)	50	100	200	3 घण्टे
ब	भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी में से कोई भी)	50	100		

उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिये अनिवार्य है। खण्ड 'ब' भाषा से सम्बन्धित होगा। इस खण्ड में हिन्दी एवं अंग्रेजी के पृथक-पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिये प्रश्न हल करने होंगे।

**प्रश्नपत्र – द्वितीय**

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य अभिरुचि परीक्षण (General Aptitude Test)	50	100	200	3 घण्टे
ब	विषय योग्यता (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि)	50	100		

उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिये अनिवार्य है। खण्ड 'ब' में 4 विषय वर्ग (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि) होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में आनलाइन आवेदन पत्र में भरा है।



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
**आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,**  
**सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका**



**परिशिष्ट-1**

**भारांको से सम्बन्धित प्रावधान**

श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
'A'	राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	
	1. इन्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा	
	(अ) प्रथम स्थान आने पर	15
	(ब) द्वितीय स्थान आने पर	10
	(स) तृतीय स्थान आने पर	05
	2. टीम आइटम में	
	(अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	15
	(ब) सर्वउपविजेता (रनर अप) टीम का सदस्य होने पर	10
	(स) प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर	05
	3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में	
(अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	10	
(ब) एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर	10	
	<b>नोट:</b> 1) उपर्युक्त 1,2 एवं 3 के अन्तर्गत उल्लिखित मदों में से केवल एक ही मद/प्रतियोगिता का लाभ दिया जायेगा अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम/प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/प्रतियोगिता का लाभ देय होगा। 2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। 3) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।	
'B'	नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी	
	1. नेशनल कैडेट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	15
	या	



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
**आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,**  
**सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका**



श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
	2. नेशनल कैडेट कोर में (बी) प्रमाण-पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	10
	या	
	3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	15
	या	
	4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	10
	या	
	5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को	05
	या	
	6. स्काउट एवं गाइड्स अथवा रोवर्स/रेन्जर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को	15
	या	
	7. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी को	10
	या	
	8. स्काउट एवं गाइड्स गुरुपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को	05
	<b>नोट:</b> 1) उपरोक्त 1 से 8 के अन्तर्गत आइटम में से केवल एक ही मद का लाभ देय होगा। 2) किसी भी आइटम के लिये प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 3) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा से तात्पर्य दो सतत् शैक्षणिक सत्रों में सेवा/सदस्यता से है।	
'C'	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण	15
'D'	ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो।	15





**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
'E'	ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस. एफ. या एस.एस.बी. या आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ. या होमगार्ड्स में सेवारत हो या सेवानियुक्त, अपंग या मृत हो गये हो, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये)	15
'F'	ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)	15

नोट:

1. श्रेणी 'C' से 'F' तक के प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस विवरणिका के अंत में दिये गये हैं। प्रमाण पत्र में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही प्रमाण पत्र मान्य होगा।
2. यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त 'A' से 'F' तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उसे अधिकतम 25 अंको का ही लाभ दिया जायेगा।
3. खेलकूद / एन0सी0सी0 / एन0एस0एस0 / स्काउट-गाइड / रोवर्स-रेंजर्स से सम्बन्धित अधिभार अंक उसी दशा में मान्य होंगे यदि उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रेषित करने की अंतिम तिथि से पूर्व में अर्जित किये गये हों।
4. टिप्पणी : काउन्सिलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



**परिशिष्ट-2**

संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2018-20 से सम्बन्धित विश्वविद्यालय

क्रम संख्या	विश्वविद्यालयों के नाम
1.	महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली 243006
2.	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा 282004
3.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ - 226007
4.	डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद- 224001
5.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ- 200005
6.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी- 248128
7.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी- 221002
8.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी- 221001
9.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर- 222003
10.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर- 273009
11.	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर- 208025
12.	इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद- 211002
13.	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया- 277301
14.	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर- 272205
15.	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ- 226013
16.	गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, नोयडा- 201312



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



परिशिष्ट-3

राज्य स्तरीय बी.एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2018-20 के परीक्षा केन्द्रों के लिए  
प्रस्तावित शहरों की सूची

क्रम संख्या	शहर का नाम	कोड
1	बरेली	40
2	मुरादाबाद	41
3	आगरा	42
4	अलीगढ़	43
5	मेरठ	44
6	गाजियाबाद	45
7	झाँसी	47
8	जौनपुर	48
9	आजमगढ़	49
10	इलाहाबाद	50
11	लखनऊ	51
12	कानपुर	53
13	वाराणसी	57
14	फैजाबाद	60
15	गोरखपुर	61



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-1

(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा स्त्री के लिए प्रमाण पत्र)

- (अ) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती .....
- .एक विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला है। उनके पति श्री/स्वर्गीय .....
- .....की मृत्यु अभिलेखों के अनुसार दिनांक .....
- को हुई है।

दिनांक :.....

तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मोहर  
अधिकारी का नाम .....

- ब) तलाकशुदा स्त्री के लिये न्यायालय से तलाक स्वीकृत होने सम्बन्धित न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि का संलग्न करना अनिवार्य है।
- (स) परित्यक्ता महिला के लिये न्यायिक अलगाव तथा निर्वाह भत्ते के लिए न्यायालय में दी गयी अर्जी तथा न्यायालय द्वारा उस पर की गयी कार्यवाही की न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-2

(प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिए प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती ..... के  
पिता/पति एक प्रतिरक्षा अधिकारी है जिनका रैंक ..... तथा नम्बर..... है  
जो कि सक्रिय सेवारत हैं

अथवा सक्रिय सेवारत थे और अपंग हो गये

अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

श्री/कु./श्रीमती ..... इनके पुत्र/पुत्री/पत्नी  
है।

दिनांक.....

आफीसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेट्री सोल्जर्स बोर्ड  
के हस्ताक्षर एवं मोहर  
अधिकारी का पूरा नाम .....



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

प्रमाण पत्र का प्रारूप-3

अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.....

पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी गांव/शहर .....

तहसील ..... जिला ..... प्रदेश .....

का जन्म ..... जाति में हुआ था और यह जाति अनुसूचित जाति/जनजाति

(संशोधन) एक्ट 1956 के अन्तर्गत भारत सरकार/उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा मान्य

अनुसूचित जाति/जनजाति है ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

मोहर

जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



**प्रमाण पत्र का प्रारूप-4**

(उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी  
जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित  
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 के  
अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 (अधिसूचना संख्या-22/16/92-का 02/1995  
टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1955 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के  
ग्राम ..... नगर ..... जिला .....  
में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

मोहर

जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी/सिटी  
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

नोट : अभ्यर्थी ध्यान दें कि उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग लिये जाति प्रमाण पत्र 01 जनवरी, 2018 के पश्चात् निर्गत हुआ होना आवश्यक है क्योंकि क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-5

(स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.\* .....

श्री \*\* .....

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निवासी ..... के आश्रित \*\*\* .....

..... हैं।

दिनांक : .....

स्थान : .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम मोहर के साथ  
अधिकारी का पूरा नाम .....

नोट : इस प्रमाण-पत्र के साथ जिला अधिकारी प्रदत्त प्रमाण-पत्र एवं पेंशन बुक की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उपरोक्त के अभाव में यह प्रमाण पत्र अमान्य होगा।

\* यहाँ आश्रित का नाम लिखें

\*\* यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का नाम लिखा जाये।

\*\*\* यहाँ स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित का सम्बन्ध लिखा जाये।

केवल जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य है।





बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-6

(प्रतिरक्षा कर्मचारी के आश्रितों के लिये प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....  
पुत्र/पत्नी/पत्नी श्री.....रैंक.....  
.. नम्बर ..... जो प्रतिरक्षा सक्रिय सेवा में है अथवा सेवानिवृत्त हो  
चुका है अथवा युद्ध के समय लापता हो गये है।

दिनांक:.....

आफिसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स  
बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर  
अधिकारी का पूरा नाम.....



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-7

(पुलिस / पी.ए.सी. / होमगार्ड / बी.एस.एफ. / आई.टी.बी.पी. / सी.आर.पी.एफ. विभाग का  
प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कृ. / श्रीमती .....  
...के पिता / पति श्री ..... एक  
पुलिस / पी.ए.सी. / होमगार्ड / बी.एस.एफ. / आई.टी.बी.पी. / सी.आर.पी. विभाग में सेवारत कर्मचारी है  
जिनका रैंक ..... नम्बर. .... है / सेवारत है / थे और अपंग हो  
गये। उन्होंने सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

दिनांक:.....

पुलिस अधीक्षक / कमाण्डेण्ट के हस्ताक्षर  
पद की मोहर के साथ  
अधिकारी का पूरा नाम



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-8

(केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....

आत्मज/आत्मजा ..... ग्राम .....

तहसील..... नगर.....जिला .....राज्य

के/ की स्थाई निवासी है। अतः ये दूसरे प्रान्त के/की श्रेणी में आते/आती हैं।

दिनांक:.....

पद जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
पदनाम की मोहर.....



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
**आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,**  
**सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका**



**प्रमाण पत्र का प्रारूप-9**

(यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता/पिता निवासी है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम.....  
..... पिता/माता श्री/कु. (अभ्यर्थी का नाम) .....उत्तर प्रदेश  
के गाँव/शहर ..... तहसील.....जिला.....के मूल  
निवासी है तथा श्री/कु./श्रीमती (अभ्यर्थी का नाम) .....के  
माता/पिता सामान्यतः निवास करते हैं।

दिनांक .....

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट

पूरा नाम .....

पद नाम .....

मोहर

(जिला मजिस्ट्रेट की सील)

जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजन मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जो शा.आ.सं.-157/जीन-2003-77(।।)/83 दिनांक 18 फरवरी, 2003 के अधीन जारी किये जायेंगे।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-10

(विकलांग अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....

आत्मज/आत्मजा..... ग्राम ..... तहसील.....

..... नगर.....जिला.....राज्य ..... के निवासी हैं

और निम्नांकित विकलांग श्रेणी में आते हैं। परन्तु इस श्रेणी में आते हुए भी वे चर्म रोग, हकलाना, मूक बधिर या किसी अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिनके छात्रों में संक्रमण या उनकी कक्षा शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। उनकी विकलांगता ..... अंग से सम्बन्धित है तथा विकलांगता का स्वरूप ..... प्रतिशत है।

विकलांगता की श्रेणी

1. हाथ या पैर से विकलांग
2. आंख से विकलांग

दिनांक:.....

मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम  
एवं मुहर



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-11

सामान्य निवास प्रमाण पत्र

तहसीलदार ..... की आख्या दिनांक .....के आधार पर एतद्  
द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....निवासी मकान नम्बर.....  
ग्राम..... मोहल्ला .....तहसील .....  
जनपद .....उत्तर प्रदेश का/की निवासी हैं व उनका वर्तमान पता  
मकान नम्बर ..... ग्राम ..... मोहल्ला.....  
तहसील ..... जनपद.....उत्तर प्रदेश है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना तथा  
इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य  
निवासी होने का प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर उपजिलाधिकारी  
पूरा नाम  
पद नाम  
मुहर  
(उपजिलाधिकारी की सील)



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



## CONTACT US

<b>Telephone Numbers</b>	
B.Ed. 2018 -19 Information Cell	0522-2740200 0522-2740600
Fax Number	0522 – 2740467
E –mail ID	uplubed2018@gmail.com
State Coordinator	0522-2740600 JEE B.Ed. 2018-20 BEd Cell, Department of Zoology, University of Lucknow, Lucknow - 226007
Registrar / Nodal State Officer	0522- 2740412
Websites	<a href="http://lkouniv.ac.in">http://lkouniv.ac.in</a>